UPET010026932026

न्यायालय :: सत्र न्यायाधीश, एटा

उपस्थितः राकेश धर दुबे, (उच्चतर न्यायिक सेवा) - UP02008

दांडिक निगरानी सं0 117/2026

सुनीता पत्नी रामप्रकाश, निवासी चन्दन नगला घिलौआ, थाना कोतवाली देहात, जिला एटा। ———निगरानीकर्ती/परिवादिनी

बनाम

1. मंजूलता पत्नी प्रमोद कुमार } निवासीगण लालपुर, परगना एटा सकीट,
2. कु0 अंजली पुत्री प्रमोद कुमार } तहसील व जिला एटा, थाना कोतवाली
3. अभिषेक पुत्र प्रमोद कुमार } नगर, जिला एटा।
4. उ0प्र0 राज्य, द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (दांडिक), एटा। ———विपक्षीगण

निर्णय

01. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निगरानीकर्ती/परिवादिनी सुनीता द्वारा दाण्डिक प्रकीर्णवाद सं0 1600/2025, सुनीता बनाम मंजूलता आदि के मामले में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा द्वारा पारित आदेश दिनांकित 27.08.2025 के विरूद्ध योजित की गयी है। प्रश्नगत् आदेश द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने निगरानीकर्ती द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 को निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

02. दाण्डिक निगरानी से सम्बन्धित मामले के तथ्य इस प्रकार हैंः– निगरानीकर्ती/आवेदिका द्वारा आवेदन अन्तर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 इस कथन के साथ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थिया का एक प्लाट (मकान) घिलौआ रोड से लालपुर रोड थाना–कोतवाली नगर जिला–एटा पर स्थित है, जिसकी सीमायें पूरब में मकान मोहकमश्री, पश्चिम में रास्ता 15 फीट, उत्तर में जगह अशोक कुमार आदि, दक्षिण में मकान ज्ञान देवी पत्नी जयवीर सिंह आदि, जिसकी पूर्वी भुजा 18 मीटर व पश्चिमी भुजा 18 मीटर व उत्तरी भुजा 28.78 मीटर व दक्षिणी भुजा 28. 78 मीटर है, जिसका क्षेत्रफल 518 वर्गमीटर है, जबकि मंजूलता द्वारा कु० अंजली को जो बैनामा किया गया है, उसकी सीमायें पूरब में जगह विनोद व पश्चिम में रास्ता 14 फीट व उत्तर में जगह विनोद कुमार व दक्षिण में प्लाट नामालूम लिखा है, जिसकी पूर्वी भुजा 51.16 फीट व पश्चिमी भुजा 51.16 फीट व उत्तरी भुजा 51.16 फीट व दक्षिणी भुजा 51.16 फीट है, जिसका क्षेत्रफल 2617.34 वर्ग फीट यानी 243.41 वर्गमीटर दर्शाया गया है, जबकि मन्जूलता का हिस्सा प्रमाण–पत्र द्वारा कुल रकबा 0.259 है0 में से 1/175 वा भाग बनता है, जो बैनामा में और हिस्सा प्रमाण–पत्र में काफी अन्तर है। इससे मंजूलता द्वारा अपने हिस्से की भूमि से अधिक बैनामा कर दिया गया है और जो कि इस बैनामा में गवाह बतौर हजारीलाल व अभिषेक यह जानते हुए कि भूमि कम है और बैनामा ज्यादा का किया गया है, इसी बैनामा के आधार पर उसके प्लॉट पर कब्जा कर लिया है। प्रार्थिया ने अवैध कब्जा करने से रोका, तो उपरोक्त चारों लोग झगड़ा तथा मारपीट करने पर उतारू हो गये। प्रार्थिया डर कर अपने घर

Digitally signed by RAKESH DHAR DUBEY
Date: 2026.08.24 15:44:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

चली गयी, तो पीछा करते हुये उपरोक्त सभी लोग जबरन कब्जा करने की धमकी देकर चले गये और कहा कि अगर दोबारा इधर आई, तो उसे व उसके परिवार को जान से मार देगें। प्रार्थिया घटना की रिपोर्ट करने थाना कोतवाली नगर गई, तो दरोगा जी ने रिपोर्ट नहीं लिखी। मजबूर होकर प्रार्थिया ने अपनी रिपोर्ट टाईप कराकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिनांक 21.05.2025 को वजरिए रजिस्ट्री एवं व्यक्तिगत रूप दी, लेकिन इलाका पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही आज तक नहीं की गयी। प्रार्थिया को पुलिस से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है, तब मजबूर होकर प्रार्थिया यह प्रार्थना–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर रही है। अतः थानाध्यक्ष कोतवाली नगर को आदेशित किया जाये कि वह रिपोर्ट दर्ज कर कठोर कार्यवाही करें।

03. निगरानीकर्ती की ओर से दाण्डिक निगरानी के समर्थन में यह आधार लिया गया कि आदेश दिनांक 27.08.2025 खिलाफ कानून खिलाफ वाक्यात विधि–विरूद्ध तरीके से पारित किया गया है, जो कि हर सूरत में निरस्त होने योग्य है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पुलिस रिपोर्ट पर बल दिया गया है, जबकि बैनामे से सम्बन्धित हेरा फेरी या बैनामा करने में छल फरेब कराये जाने से सम्बन्धित अपराध की जांच करने के लिए सम्बन्धित पुलिस को लेखपाल या राजस्व कर्मचारियों की मदद लेनी चाहिए थी, जो कि पुलिस ने नहीं ली है। विद्वान विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया गया है कि पुलिस द्वारा किस तरीके से रिपोर्ट दे दी गयी है, जिसमें कहा गया है कि वादी के आरोप सिद्ध नहीं हो सके और न माने जाने वाली रिपोर्ट है। विद्वान अवर न्यायालय ने धोखाधडी, जालसाजी तथा कूटरचित बैनामे को जो कि आपराधिक प्रवृत्ति का मामला है, सिविल प्रकृति का दिखाने का गम्भीर प्रयास किया गया है, जबकि विद्वान सिविल न्यायालय या तो बैनामे को कैंसिल कर सकती है या मौके पर यथास्थिति का आदेश कर सकती है, जबकि यहाँ पर जो बैनामा कराया गया है, वहाँ अधिक क्षेत्रफल का कराया गया है, जो कि सरासर फौजदारी का मामला है, जिसमें सिविल प्रकृति कहीं से साबित नहीं होती है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में उल्लिखित किया गया है कि मामला पूर्णतः सिविल प्रकृति का है, परन्तु उपरोक्त मामला सिविल प्रकृति का न होकर फौजदारी प्रकृति का है। मंजू लता के ससुर पांच भाई थे, जबकि पुलिस रिपोर्ट में दो भाई दर्शाये गये है। मंजू लता के पति स्व० प्रमोद कुमार का उपरोक्त भूखण्ड में 1/25 वां भाग होता है, जो कि मौके पर लगभग 104 वर्गमीटर बनता है, जिसमें मंजू लता का लगभग 15 वर्गमीटर हिस्सा बनता है, जबकि मंजू लता ने कूटरचित रूप से 243.41 वर्गमीटर का बैनामा कर दिया है, जो कि साफ साफ हेराफेरी दिखती है तथा सिविल प्रकृति का मामला नहीं है। विद्वान अवर न्यायालय ने मुकदमा उपरोक्त का विश्लेषण न्यायालय के प्रतिपादित सिद्धान्त का पालन न करते हुए भारी भूल की है, ऐसी स्थिति में आदेश दिनांक 27.08.2025 अपास्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.08.2025 अपास्त किये जाने की याचना की गयी है।

04. विपक्षी सं0 04 उ0प्र0 राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् आदेश पारित किया गया है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निरस्त किये जाने एवं आदेश दिनांक 27.08.2025 पुष्ट किये जाने की याचना की गयी।

05. निगरानीकर्ती की ओर से विद्वान अधिवक्ता, विपक्षीगण सं0 01 लगायत 03 की ओर से विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी सं0 04 उ0प्र0 राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा उभय पक्षों द्वारा दाखिल लिखित बहस एवं पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

06. निगरानीकर्ती/परिवादिनी की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत करते

हुए निगरानी के तथ्यों तथा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस० के तथ्यों को दोहराते हुए यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.08.2025 विधि–विरूद्ध है और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मात्र सिविल नेचर मानकर निगरानीकर्ती का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस० निरस्त किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पुलिस रिपोर्ट पर बल दिया गया है, जबकि बैनामें से सम्बन्धित हेरा फेरी या बैनामा करने में छल फरेव कराये जाने से सम्बन्धित अपराध की जांच करने के लिए सम्बन्धित पुलिस को लेखपाल या राजस्व कर्मचारियों की मदद लेनी चाहिए थी, जो कि पुलिस ने नहीं ली है। विद्वान विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीु किया गया है कि पुलिस द्वारा किस तरीके से रिपोर्ट दे दी गयी है, जिसमें कहा गया है कि वादी के आरोप सिद्ध नहीं हो सके तथा लेखपाल द्वारा जो रिपोर्ट दी गयी थी, उसमें भी आखिरी दो लाइनों में साफ साफ लिखा है कि भूमि के अंश क्षेत्रफल में भिन्नता है। सिविल न्यायालय या तो बैनामे को निरस्त कर सकती है या मौके पर यथास्थिति का आदेश कर सकती है, जबकि यहाँ पर जो बैनामा कराया गया है, वहाँ अधिक क्षेत्रफल का कराया गया है, जो कि सरासर फौजदारी का मामला है। उपरोक्त अंजली द्वारा निगरानीकर्ती के हिस्से वाली जगह पर कब्जा करके विद्युत मीटर भी लगवाया गया है तथा कागजों में फेर बदल किया गया है, जो कि फौजदारी प्रवृत्ति का है, जिस पर विद्वान विचारण न्यायालय ने कोई विचार नहीं किया है। अतः निगरानी स्वीकार कर आदेश दिनांक 27.08.2025 को निरस्त किये जाने की याचना की गयी। अपने तर्कों के समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में लेखपाल की आख्या की छायाप्रति दिनांकित 09.07.2026, विधुत कनैक्शन, जो उपभोक्ता कु0 अंजली के नाम है, की छायाप्रति, एक किता खतौनी की छायाप्रति तथा शिकायतकर्ता रामप्रकाश द्वारा विपक्षी मंजूलता के विरूद्ध की गयी शिकायत आई0जी0आर0एस0 पर उपनिरीक्षक द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा को प्रेषित जॉच आख्या की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है।

07. विपक्षी मंजूलता की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि विपक्षी मंजुलता अनुसूचित जाति की एक वृद्ध महिला है। उसके पति चार भाई थे। उसकी सास श्रीमती गोविन्दी देवी के द्वारा दिनांक–08.05.2013 को उसके पति स्व० श्री प्रमोद कुमार व उनके परिवार के द्वारा उनकी माताजी की सेवाभाव से अत्यन्त खुश होकर उसके पति के नाम अपनी सम्पूर्ण भूमि अंश की पंजीकृत वसीयत की थी, जो उसके पास मौजूद है। प्रार्थिया के पति स्व० श्री प्रमोद कुमार की मृत्यु दिनांक 04.11.2015 को हो गयी थी। उसके पश्चात् मृत्युपरान्त बतौर वारिस उसका नाम व उसके बच्चों का नाम दिनाक 14.07.2022 को फर्द में अंकित हो गया। उसका एक प्लॉट जो लालपुर में स्थित है, जिस पर उसका कब्जा है, उस पर उसके द्वारा 5–6 वर्ष पूर्व ही चारदीवारी लगाकर व गेट चढ़ाकर अपनी भूमि/प्लॉट को सुरक्षित कर लिया था। विद्युत विभाग की टीम द्वारा विद्युत कनेक्शन का मीटर भी लगा है और वह 2010–12 से अपनी उक्त भूमि प्लॉट का हाउस टैक्स व वाटर टैक्स भी अदा करती चली आ रही है। उसकी उम्र बढ़ने के कारण व उसके बीमार रहने के कारण उसने अपने प्लॉट का बैनामा अपनी पुत्री कु० अंजली पुत्री स्व० श्री प्रमोद कुमार के नाम दिनांक–11.07.2023 को तहसील में कर दिया था। कुछ समय पश्चात् उसके खानदानी व्यक्ति उमेश चन्द्र उर्फ उपेन्द्र पुत्र स्व० श्री मुकुन्दीलाल ने विजयपाल को दिनांक 18.10.2023 उसके गाटा सं0–76 का हवाला देते हुये एक बैनामा रजिस्ट्री कर दिया, जिसमें चौहद्दी के स्थान पर सम्पूर्ण भाग विक्रय करना लिख दिया। उसके पश्चात् एक बैनामा विजयपाल ने सुनीता यादव के नाम दिनांक 01.01.2024 को तस्दीक कर दिया, जिसमें गाटा सं0–76 मौजा भगीपुर बाहर चुंगी व गाटा सं0–98 मौजा घिलौआ, जो पूर्व से ही उसका नम्बर है, जिसमें पूर्व से ही उसका कब्जा है, जिसमें गाटा सं0–76 को दिखाकर उसके

प्लॉट की चौहद्दी को गलत दर्शाकर उपरोक्त बैनामा को तहसील में तस्दीक कर दिया। वह दिनांक 07.12.2025 को अपने प्लॉट पर थी, तो रामप्रकाश यादव व उनके दोनों पुत्र, जिनका नाम नामालूम है व उसकी बड़ी पुत्री अमजेश यादव व उसकी पत्नी सुनीता यादव व उनका दामाद नाम नामालूम व तीन–चार अज्ञात लोग आकर उसके प्लॉट पर जबरिया कब्जा करने की नीयत से झगड़ा करने लगे, जिसकी सूचना उसने थाने पर दी, जो अ0सं0–631/2025 थाना कोतवाली नगर, एटा धारा–352,351(3),131,324(4) बी0एन0एस0 व 3(2)(5ए) एस०सी०/एस०टी० एक्ट के अन्तर्गत रामप्रकाश यादव, रामप्रकाश यादव की बडी पुत्री नाम नामलूम, सुनीता यादव, रामप्रकाश यादव का दामाद नाम नामालूम एवं 3–4 अज्ञात लोगों के विरूद्ध दर्ज हुई। परिवादिनी द्वारा पुनः कारित की गयी घटना के सम्बन्ध में निगरानीकर्ती/परिवादिनी के विरूद्ध एक मुकदमा दिनांक 29.04.2026 को अन्तर्गत धारा–191(2),318(4),352,115(2),109 बी0एन0एस0 व 3/5 एस०सी०एस०टी० एक्ट अ0सं0–0186/2026 थाना कोतवाली नगर एटा पर दर्ज कराया गया। निगरानीकर्ता की निगरानी में लगाये गये आरोप निराधार है। तहसील आख्या दिनांक 14.08.2025, 18.08.2025, 19.08.2025 क्रमशः लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक, उपजिलाधिकारी के अनुसार निगरानीकर्ता द्वारा शिकायती प्रार्थना–पत्र तहसील में दिया गया, जिसमें दौरान जाँच पाया गया कि उपरोक्त जगह मंजुलता व उनके परिवारीजनों की है व उस पर 4 से 5 फीट दीवाल ऊँची है, जो जवाबदेहन्दा द्वारा लगवायी गयी है और उसी का कब्जा है। उपरोक्त परिस्थिति में निगरानीकर्ती की निगरानी किसी भी प्रकार स्वीकार होने योग्य नहीं है और खारिज किये जाने की याचना की गयी। अपने तर्कों के समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में एक किता छायाप्रति बैनामा दिनांकित 11.07.2023 श्रीमती मंजूलता वहक कु0 अंजली, एक किता वसीयतनामा की छायाप्रति गोविन्दी देवी वहक प्रमोद कुमार, दो किता छायाप्रति उद्धरण खतौनी गाटा सं0 76 व 98, एक किता गृहकर रसीद अंजली, एक किता विधुत कनैक्शन रसीद अंजली, एक किता आरोप–पत्र अ0सं0 631/2025, दो किता विधुत कनैक्शन बिल रसीद अंजली, एक किता एफ0आई0आर0 सं0 186/2026 द्वारा मंजूलता तथा एक किता राजस्व विभाग एटा की टीम द्वारा प्रस्तुत की गयी जॉच आख्या की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है।

08. दाण्डिक पुनरीक्षण के मामले में इस न्यायालय को यह देखना है कि क्या विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि विरूद्ध, अशुद्ध अथवा अनुचित तो नहीं है एवं अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत पारित किया गया है अथवा क्षेत्राधिकार के परे जाकर पारित किया गया है।

09. सक्षम मजिस्ट्रेट धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को **(1)** स्वीकार कर सम्बन्धित थानाध्यक्ष को मामला दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दे सकता है, अथवा **(2)** धारा 200 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत शिकायत के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित कर सकता है, अथवा **(3)** प्रार्थना–पत्र को निरस्त कर सकता है।

10. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 27.08.2025 पारित किये जाने के पूर्व थाने की आख्या का निम्नानुसार अवलोकन एवं उल्लेख किया गया है:–

''मंजूलता द्वारा कुमारी अंजली को बैनामा किया गया है, जो मंजुलता की पुत्री है। दोनों के बैनामे देखे गये। मंजूलता के पति चार भाई हैं, जिनका आपसी बंटवारा है। मंजूलता के परिवार के द्वारा बैनामा के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। मंजूलता के पति प्रमोद कुमार के पिता दो भाई हैं। जिनका आपसी बंटवारा है। आवेदिका द्वारा लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं किये जा सकते कि विपक्षी द्वारा ज्यादा बैनामा कर दिया है। अन्य लगाये गये आरोप की पुष्टि नहीं हो सकी है। फिर भी आवेदिका को कोई समस्या हो

तो संबंधित न्यायालय में अपना पक्ष रखें। उक्त घटना के संबंध में थाना हाजा के अभिलेखों के अनुसार थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।''

11. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 27.08.2025 में यह भी अवधारित किया गया है किः–

''प्रार्थिया न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आयी है तथा उसके द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किये जाने का प्रयत्न किया जाना प्रतीत होता है। प्रार्थिया के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वास्तविक रूप से प्रार्थिया द्वारा बेईमानी की नीयत से न्यायिक प्रक्रिया के दुरूपयोग की पराकाष्ठा को प्रदर्शित करते हुए यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से ही स्पष्ट है कि प्रकरण वास्तविक रूप से अचल संपत्ति (प्लॉट/मकान) के बंटवारे व पंजीकृत बैनामा के निरस्तीकरण आदि से संबधित है, जो कि मूलतः सिविल प्रकृति का मामला है। वस्तुतः ऐसा प्रतीत होता है कि उभय पक्ष के मध्य प्रश्नगत् भूमि/अचल संपत्ति (प्लाट/मकान) के बंटवारे व पंजीकृत बैनामा के निरस्तीकरण आदि की वैधानिकता को लेकर विवाद विद्यमान है, जिसमें प्रार्थिया विपक्षीगण के विरूद्ध अवैधानिक रूप से अभियोग पंजीकृत कराकर विपक्षीगण को सिविल प्रकृति के मामले में उनके वैधानिक अधिकारों का हनन करना चाहती है, जो कि विधिक रूप से फौजदारी प्रकृति के मामले से संभव नहीं है। अचल संपत्ति के संबंध में कब्जे का विवाद अथवा अंश का निर्धारण/पंजीकृत बैनामे के निरस्तीकरण का विवाद चाहे स्वत्व के संबंध में हो अथवा बंटवारे या किरायेदारी अथवा किसी अन्य प्रकृति का, समस्त के सम्बन्ध में सक्षम सिविल न्यायालय को ही क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वस्तुतः ऐसा प्रतीत होता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सक्षम सिविल न्यायालय में वाद संस्थित न करके विपक्षीगण के विरुद्ध फौजदारी मामला संस्थित कराके वास्तविक रूप से पूर्णतः सिविल प्रकृति के मामले में विपक्षीगण पर अवैधानिक रूप से दबाव बनाने व विधि विरूद्ध तरीके से स्वयं के हितों को पूर्ण करने के उद्देश्य से विधिक परामर्श प्राप्त कर प्रथम दृष्ट्या ही असत्य एव कल्पित प्रतीत होते तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया प्रतीत होता है।''

12. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **नरेश कुमार व अन्य बनाम कर्नाटक राज्य, दांडिक अपील सं0 2024, संबंधित एस0एल0पी0 सं0 1570/2024, निर्णीत दिनांक 12.03.2024** एवं **परमजीत बत्रा बनाम उत्तराखण्ड राज्य, (2013) 11 एस0सी0सी0 पेज–673** में प्रतिपादित सिद्धांतों का अवलोकन किया गया।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त विधि–व्यवस्थाओं में एवं कई अन्य विधि–व्यवस्थाओं में विशुद्ध रूप से दीवानी प्रकृति के मामलों को दांडिक प्रकृति के मामलों में परिवर्तित करने की प्रवृत्ति पर चिन्ता व्यक्ति की गयी है और कथन किया गया है कि यदि प्रकरण विशुद्ध रूप से दीवानी प्रकृति का है, तो ऐसे मामलों में दांडिक वाद की कार्यवाही को निरूद्ध किया जाना न्यायोचित है।

13. विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 में किये गये कथनों के समग्र अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षकारों के मध्य विवाद की मूल प्रकृति दीवानी प्रकृति की है। प्रकरण वास्तविक रूप से अचल संपत्ति (प्लॉट/मकान) के बंटवारे व पंजीकृत बैनामा के निरस्तीकरण आदि से संबधित है, जो कि मूलतः सिविल प्रकृति का मामला है। उभय पक्ष के मध्य प्रश्नगत् भूमि/अचल संपत्ति (प्लाट/मकान) के बंटवारे व पंजीकृत बैनामा के निरस्तीकरण आदि की वैधानिकता को लेकर विवाद विद्यमान है। अचल संपत्ति के संबंध में कब्जे का विवाद अथवा अंश का निर्धारण/पंजीकृत बैनामे के निरस्तीकरण का विवाद चाहे स्वत्व के संबंध में हो अथवा बंटवारे या किरायेदारी अथवा किसी अन्य प्रकृति का, समस्त के सम्बन्ध में सक्षम

सिविल न्यायालय को ही क्षेत्राधिकार प्राप्त है। माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित अनेक विधि–व्यवस्थाओं में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि पक्षकारों के मध्य विवाद की प्रकृति दीवानी प्रकृति की है, तो ऐसे मामलों में दाण्डिक प्रकृति का वाद संस्थित किया जाना उचित नहीं है।

14. स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.08.2025 तथ्यों की विवेचना के उपरान्त विधिसम्मत् तरीके से एवं अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

15. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर दाण्डिक निगरानी आधारहीन है एवं निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निगरानीकर्ती/परिवादिनी सुनीता की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी सं0 117/2026 निरस्त की जाती है।

दाण्डिक निगरानी से सम्बन्धित पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

दिनांक–24.08.2026 **(राकेश धर दुबे)**
सत्र न्यायाधीश एटा।

उपरोक्त निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक–24.08.2026 **(राकेश धर दुबे)**
सत्र न्यायाधीश एटा।